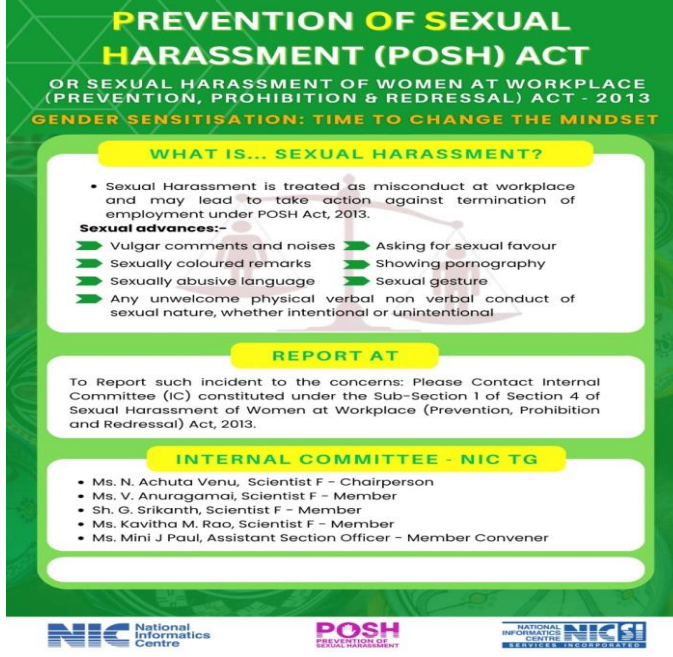


## एनआईसी तेलंगाना: लिंग समानता पर संगठित प्रबुद्धकारी व्याख्यान और पीओएसएच अधिनियम के पोस्टर का अनावरण।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), हैदराबाद, तेलंगाना ने **माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी**, तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय और लिंग संवेदीकरण समिति, अध्यक्ष को एनआईसी, तेलंगाना राज्य केंद्र को **21 जून 2025** को " **भारत के संविधान के तहत लिंग समानता** " पर व्याख्यान देने और **पीओएसएच (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) पर पोस्टर** जारी करने के लिए आमंत्रित किया।



**PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT (POSH) ACT**  
OR SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE  
(PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT - 2013  
**GENDER SENSITISATION: TIME TO CHANGE THE MINDSET**

**WHAT IS... SEXUAL HARASSMENT?**

- Sexual Harassment is treated as misconduct at workplace and may lead to take action against termination of employment under POSH Act, 2013.

**Sexual advances:-**

- Vulgar comments and noises
- Sexually coloured remarks
- Sexually abusive language
- Any unwelcome physical verbal non verbal conduct of sexual nature, whether intentional or unintentional.
- Asking for sexual favour
- Showing pornography
- Sexual gesture

**REPORT AT**

To Report such incident to the concerns: Please Contact Internal Committee (IC) constituted under the Sub-Section 1 of Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

**INTERNAL COMMITTEE - NIC TG**

- Ms. N. Achuta Venu, Scientist F - Chairperson
- Ms. V. Anuragamal, Scientist F - Member
- Sh. G. Srikanth, Scientist F - Member
- Ms. Kavitha M. Rao, Scientist F - Member
- Ms. Mini J Paul, Assistant Section Officer - Member Convener



**LIVE**

**A Lecture on**  
**Gender equality under the Constitution of India**

**21-06-2025 (SATURDAY)**

**Start @ 03:00 PM**

**JOIN @**

**NIC, 6th Floor, Conference Hall.**

**SPEAKER** **HONOURABLE SMT. JUSTICE T. MADHAVI DEVI**  
HIGH COURT FOR THE STATE OF TELANGANA

एनआईसी, तेलंगाना राज्य केंद्र ने कार्यस्थल पर महिलाओं के **यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम 2013** पर एक महत्वपूर्ण पोस्टर जारी करने के साथ-साथ "भारत के संविधान के तहत लिंग समानता" शीर्षक से एक सम्मोहक व्याख्यान की सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग समानता और कार्यस्थल पर सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाना और गहरी समझ को बढ़ावा देना था।

श्रीमती एन. अचुता वेनु, अध्यक्ष, पीओएसएच आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) और एसआईओ जिलों, ने मुख्य अतिथि का परिचय दर्शकों से कराया। सत्र के दौरान, मुख्य अतिथि को एसआईओ, एनआईसी तेलंगाना राज्य केंद्र और पीओएसएच समिति के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया।

माननीय न्याय ने एक **अंतर्दृष्टिपूर्ण संबोधन और इंटरैक्टिव सत्र** दिया जिसने दर्शकों को लिंग समानता से संबंधित विभिन्न कृत्यों और ऐतिहासिक निर्णयों पर दर्शकों को प्रकाश डाला। ये चर्चाएँ स्वतंत्रता-पूर्व के युग से समकालीन समय तक फैली हुई थीं, जो एक व्यापक ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य प्रदान करती थीं। मुख्य अतिथि ने **पीओएसएच अधिनियम 2013** को सरल, सुलभ भाषा में भी सावधानीपूर्वक समझाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी लिंगों के प्रतिभागी इसकी बारीकियों और महत्व को समझ सकें। प्रस्तुति में कार्यस्थल में सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अधिनियम के संतुलित पर जोर दिया गया।

माननीय न्यायाधीश ने प्रतिभागियों से प्रश्न लेकर और दर्शकों से कुछ प्रश्न पूछकर कार्यक्रम को अत्यधिक संवादात्मक बना दिया। जिला केंद्रों और दूरस्थ स्थलों को वी. सी. के माध्यम से जोड़ा गया था।

पूरा कार्यक्रम एनआईसी तेलंगाना की पीओएसएच समिति द्वारा आयोजित किया गया था और श्री गोवर्धन श्रीकांत, सदस्य, पीओएसएच समिति और वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) और विभागाध्यक्ष द्वारा संचालित किया गया था।

सुश्री एम कविता राव, सदस्य, पीओएसएच समिति और वरिष्ठ निदेशक (आई. टी.) और विभागाध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।



### कार्यक्रम की झलकियां



मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी, उच्च न्यायालय तेलंगाना राज्य, एनआईसी तेलंगाना राज्य केंद्र, हैदराबाद बीआरकेआर भवन की स्वागत लॉबी में स्वागत करते हुए।

एनआईसी तेलंगाना राज्य केंद्र में मुख्य अतिथि द्वारा एनआईसी टीजीएससी आईसीसी सदस्यों के साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के **यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम 2013** पर पोस्टर का अनावरण।







धन्यवाद एवं सादर  
पीओएसएच आईसीसी - एनआईसी तेलंगाना